खंड 1, सख्या 147

राष्ट्र महिला

अक्टूबर 2011 राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा प्रकाशित

सम्पादकीय

चर्चा में
पहली महिला 'जवान'

हाल ही में जब 13 लाख सैनिकों की भारतीय सेना में एक महिला को शामिल किया गया तो एक और बड़ा अवरोध दूर हुआ । दो बच्चों की मां शान्ति टिग्गा शारीरिक परीक्षण में अपने पुरुष प्रतियोगियों को हरा कर सेना के लड़ाकू वर्ग में शामिल हुयी ।

पश्चिम बंगाल से आने वाली 35 वर्षीय सुश्री टिग्गा अब सैनिकों की छिपाऊ वर्दी पहन कर तोप दागेगी । अब वह टेरीटोरियल आर्मी के 936 रेलवे इंजीनियर रेजीमेंट की पहली महिला 'जवान' है ।

अब तक सेना में महिलाओं को लड़ाकू भूमिका नहीं दी जाती थी क्योंकि उन्हें पुरुषों के मुकाबले कमजोर समझा जाता था । वे सेना की गैर–लड़ाकू यूनिटों में ही अफसर बन सकती थीं ।

परन्तु सब शंकाओं को झुठलाते हुए, सुश्री टिग्गा ने 1.5 किलो मीटर की दौड़ अपने पुरुष प्रतियोगियों की तुलना में 5 सेकिंड से कम में पूरी की और 50 मीटर की दौड़ पूरा करने में केवल 12 सेकिंड लिए । उन्होनें अपनी गोली दागने के हुनर से भी चयनकर्ताओं को प्रभावित किया और वह सर्वोच्च प्रशिक्षार्थी घोषित की गयीं ।

इस प्रकार, शारीरिक रूप से पुरुषों से कमजोर होने का तर्क प्रस्तुत कर अब महिलाओं को सेना की लड़ाकू यूनिटों में भर्ती करने से वंचित नही रखा जा सकता। खेलकूद के क्षेत्र में महिलाओं ने अपनी शारीरिक क्षमता प्रदर्शित कर ही दी है जैसे टेनिस, भारोत्तोलन, हाकी इत्यादि । अनेक बार महिलाओं को भवन–निर्माण स्थलों पर या सड़कों अथवा नहरों की खुदाई आदि में अपने सर पर भारी बोझ ढोते हुए देखा जाता है । इसलिए, सचाई यह है कि समाज ने महिलाओं पर, मजबूत होने के बावजूद यह भूमिका थोप दी है कि वे युद्ध–क्षेत्र के लायक नहीं हैं । किन्तु सुश्री टिग्गा ने दिखा दिया है कि यह सोच गलत है ।

इसके विपरीत, सुश्री टिग्गा का उदाहरण बहुत सी अन्य महिलाओं को स्वयं अपनी क्षमता एवं योग्यता के बूते पर सैनिकों के रूप में भारतीय सेना में शामिल होने की प्रेरणा देगा ।

महिला सशक्तिकरण पर सेमिनार

राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्षा सुश्री ममता शर्मा ने वाराणसी में कारमल स्कूल के परिसर में महिला सशक्तिकरण मंच द्वारा "महिला सशक्तिकरण" पर आयोजित एक सेमिनार में भाग लिया ।

इस अवसर पर अपने संबोधन में उन्होंने ने कहा कि देश के अनेक दूर–दराज भागों में महिलाओं को इस बात की तनिक भी जानकारी नहीं है कि उनके अधिकारों तथा सुरक्षा की संरक्षा के लिए क्या कानून मौजूद हैं । उन्होंने गैर सरकारी संगठनों से आग्रह कि वे आगे आयें और महिलाओं को सशक्तीकृत करने के लिए तृणमूल स्तर पर कार्य करें

उन्होंने कहा कि महिलाओं पर होने वाले अत्याचारों, जैसे कन्या भ्रूणहत्या, घरेलू हिंसा, बाल विवाह, दहेज मृत्यु, यौन उत्पीड़न आदि तथ्यों को दर्शाने वाले होर्डिंग देश के विभिन्न भागों में प्रादेशिक भाषाओं में आयोग की देखरेख में लगाये जायेंगे ।

ऐसे अपराधों के लिए अध्यक्षा ने कठोर दंड दिए जाने की सिफारिश की । उन्होंने कहा कि 100 प्रतिशत साक्षरता के कारण केवल केरल एक ऐसा राज्य है जहां महिलाओं के प्रति अपराध अपेक्षाकृत कम होते हैं ।

मनोविकार सहायता के लिए हेल्पलाइन

शहर में लोगों को मनोविकार सहायता प्रदान करने के लिए दिल्ली की मुख्यमंत्री ने एक चौबीस घंटो की हेल्पलाइन स्थापित की है जिसका नंबर है **18602662345** जिसमें मनोचिकित्सक तथा प्रशिक्षित लोग होंगे जो मानसिक सहायता की अपेक्षा करने वालो लोगों का मार्गदर्शन करेंगे ।

आयोग में नयी सदस्य सचिव की नियुक्ति

सुश्री अनिता अग्निहोत्री ने 17 अक्टूबर, 2011 से राष्ट्रीय महिला आयोग की सदस्य सचिव का कार्यभार संभाल लिया । वह 1980 बैच की उड़ीसा केडर की आइएएस हैं और उन्होंने भारत सरकार के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय तथा उड़ीसा सरकार और पश्चिम बंगाल सरकार के समाज कल्याण, जल संसाधन, उद्योग, हथकरघा एवं वस्त्र तथा सूचना और सांस्कृतिक विभागों में कार्य निर्वहन किया है ।

सुश्री अनिता अग्निहोत्री ने प्रेसीडेंसी कालिज, कोलकता से बी.ए. आनर्स की डिग्री ली और कोलकता विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र में एम०ए० किया । तत्पश्चात, उन्होंने इंग्लैंड के ईस्ट एंजिला विश्वविद्यालय से विकासोन्सुख अर्थशास्त्र की डिग्री ली ।

उन्होंने समस्त देश में, विशेषकर उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, झारखंड तथा महाराष्ट्र में, विस्तृत भ्रमण किया है ।

वह सृजानात्मक कहानियों, बाल साहित्य तथा विकासोन्मुख निबन्ध पुस्तकों की सुज्ञात लेखिका हैं और उन्होंने 30 से अधिक पुस्तकें लिखी हैं । हाशिये पर जीवन यापन करने वाले लोग और महिलाएं उनके लेखन का केन्द्र बिन्दु रहे हैं । उनकी अनेक पुस्तकों का अनुवाद न केवल विभिन्न भारतीय भाषाओं में अपितु अंग्रेजी, जर्मन तथा स्वीडिश में भी हुआ है ।

हम सुश्री अग्निहोत्री का आयोग में स्वागत करते हैं और एक अत्यंत सफल कार्यकाल की कामना करते हैं ।

"महाराष्ट्र में महिला परिवर्तन, चुनौतियो और समविकासिता योजना" पर सेमिनार

राष्ट्रीय महिला आयोग और महिला शक्ति संयोजन ने महिला राजसत्ता आन्दोलन के साथ मिल कर पुणे में "महाराष्ट्र में महिला परिवर्तन, चुनौतियां और समविकासिता योजना" पर विचार करने के लिए एक राज्य स्तरीय सेमिनार का आयोजन किया। राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्षा श्रीमती ममता शर्मा ने मुख्य अतिथि के रूप में सेमिनार का अध्यक्षता की ।

सेमिनार क एकमात्र उद्देश्य महिलाओं की शिकायतों पर प्रकाश डालते हुए तृणमूल स्तर की महिलाओं के सम्मुख आने वाली कठिनाइयों का प्रभावी हल निकालना तथा उनकी सुरक्षा संबंधी कानूनों और नीतियों में संशोधन सुझाना था । इस अवसर पर बोलते हुए, कार्यक्रम निदेशक श्री भीम रस्कर ने महिलाओं से सरोकार वाले पांच प्रमुख मुद्दों पर ज़ोर दिया – घटता हुआ महिला–पुरुष अनुपात, महिलाओं के प्रति हिंसा, भोजन का अधिकार, संपत्ति का अधिकार और राजनीति में महिलाओं की भागीदारी ।

श्रीमती ममता शर्मा प्रमुख भाषण देते हुए

अपना प्रमुख भाषण देते हुए, आयोग की अध्यक्षा श्रीमती ममता शर्मा ने कहा कि राजनीतिक क्षेत्र में अधिक संख्या में प्रशिक्षित एवं प्रेरित महिलाओं की सकिय भागीदारी बहुत आवश्यक है ।

उन्होंने कहा : "महिलाओं की सुरक्षा और सशक्तिकरण के अनेक कानून और उनके कल्याण की विभिन्न योजनाएं मौजूद हैं परन्तु उनका क्रियान्वयन ढिलमिल है और महिलाओं के प्रति अपराध बढ़ते जा रहे हैं । इस स्थिति से निबटने के लिए संयुक्त प्रयासों की आवश्यकता है ।"

श्रीमती शर्मा ने यह भी कहा कि मात्र राजनीतिक आरक्षण से महिलाओं की समस्याओं का समाधान नहीं होगा ।"राजनीति में महिलाओं की मौजूदगी दृष्टिगोचर होनी चाहिए । आरक्षण से राजनीति में उन्हें स्थान मिल सकेगा, परन्तु यदि वे अपने अधिकारों के प्रति सजग हो जायें तो वे अपने इस स्थान का उपयोग समाज के भले के लिए कर सकती हैं और राजनीति में अपनी भूमिका को सुदृढ़ बना सकती हैं । यह बात तृणमूल स्तर तक पहुचनी चाहिए ।"

उन्होंने कहा कि आयोग द्वारा महिलाओं में जागरूकता लाने की एक स्कीम क्षेत्रीय भाषाओं में तैयार की जा रही है । सड़क नाटकों तथ दूरदर्शन के माध्यम से भी बाल विवाह, महिलाओं के अधिकार, घरेलू हिंसा आदि महिला संबंधित मुद्दों पर जागरूकता पैदा की जायेगी ।

सेमिनार में लगभग 70 विभिन्न गैर सरकारी संगठनों तथा महिला राजसत्ता आन्दोलन के प्रतिनिधियों और बौद्धिकों एवं सामाजिक कायकर्ताओं ने भाग लिया ।

'कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न' विषय पर कार्यशाला

बैंगलोर में केनरा बैंक द्वारा राष्ट्रीय महिला आयोग के सहयोग में "कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न' विषय पर एक कार्यशाला आयोजित की गयी ।

भागीदारों के साथ वार्तालाप

इस अवसर पर बोलते हुए केनरा बैंक के चेयरमेन एवं मेनेजिंग डायरेक्टर श्री ऐस० रमन ने कहा कि कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न से महिला कर्मचारियों की रक्षा करना प्रत्येक संगठन का कर्त्तव्य है

केनरा बैंक की कार्यकारी डायरेक्टर श्रीमती अर्चना भार्गव भागीदारों को संबोधित करते हुए

कार्यस्थल पर महिला कर्मचारियों के यौन उत्पीड़न संबंधी कानून के बारे में प्रस्तुतीकरण देते हुए, राष्ट्रीय महिला आयोग की सदस्या सुश्री चारु वलीखन्ना ने आयोग द्वारा तैयार किए गये विधेयक के मसौदे के मुख्य बिन्दु स्पष्ट करते हुए कहा कि इसमें प्रावधान किया गया है कि प्रत्येक संगठन अथवा नियोक्ता आंतरिक शिकायतों के निबटान के लिए समिति गठित करेगा जिसमें कम से कम 50 प्रतिशत सदस्यता महिलाओं की होगी ।

कन्नड़ तथा अंग्रेजी में द्विभाषी पुस्तिका का विमोचन करते हुए (बांये से) श्री ए०के० नाहर, श्री एस० रमन० सुश्री चारु वलीखन्ना और श्रीमती गीता रामानुजम

केनरा बैंक की कार्यकारी डायरेक्टर श्रीमती अर्चना भार्गव ने कहा कि यद्यपि महिलाएं बड़े महत्वपूर्ण कार्य निष्पादित करती हैं फिर भी उनके साथ भेदभाव बरता जाता है और उनका यौन उत्पीड़न किया जाता है । कार्यस्थल पर एक सौहार्दपूर्ण वातावरण स्थापित किया जाना चाहिए ताकि महिलाएं एक भय–रहित और परस्पर भरोसे के परिवेश में कार्य कर सकें ।

इस अवसर पर कन्नड़ में, अंग्रेजी अनुवाद सहित एक पुस्तिका का विमोचन किया गया जिसमें 'कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न रोकने के लिए उच्चतम न्यायालय के मार्गनिर्देश' दर्शाये गये थे ।

राष्ट्रीय महिला आयोग ने राज्यों के मुख्य मंत्रियों को अध्यक्षाओं के पद भरने को लिखा

देश के चार राज्यों में राज्य महिला आयोगों के अध्यक्षा पद खाली पड़े हैं । यद्यपि राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्षा ने उन राज्यों को पत्र लिखकर इन स्थानों को भरने का आग्रह किया था, किन्तु किसी भी राज्य से उत्तर नहीं मिला ।

इस संदर्भ में राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्षा श्रीमती ममता शर्मा कांग्रेस अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी से मिली और निवेदन किया कि वे महाराष्ट्र, आन्ध्र प्रदेश, राजस्थान और अरुणांचल प्रदेश के मुख्य मंत्रियों को शीघ्र ही इन रिक्तियों को भरने को लिखे । उन्हों ने यह आशा भी व्यक्त की कि राष्ट्रीय महिला आयोग के तीन सदस्यों की रिक्तियां भी शीघ्र भर दी जायेंगी ।

राष्ट्रीय महिला आयोग ने मोरेना की घटना का स्वंय संज्ञान लिया

मध्य प्रदेश के मोरेना जिले में एक 30 वर्षीय विवाहित महिला एक दलित जाति के युवक के साथ भाग गयी थी जिस पर उसके पति तथा ससुरालियों ने मार मार कर उसकी हत्या कर दी और फिर जला दिया । राष्ट्रीय महिला आयोग ने इस घटना का स्वतः संज्ञान लिया ।

चार दिन तक यह मामला पुलिस के सामने नहीं आया । तत्पश्चात जब महिला के पिता ने चार व्यक्तियों के विरूद्ध पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई तो यह घटना सामने आई । पुलिस ने पति के भाई को गिरफ्तार कर लिया है जब कि पति तथा अन्य दो अभी भी गिरफ्त से बाहर हैं । आयोग की अध्यक्षा श्रीमती ममता शर्मा ने कहा कि वह पांच सदस्यीय समिति गठित करेंगी जो मौके पर जाकर इस जधन्य अपराध की जांच करेगी ।

महत्वपूर्ण निर्णय

❖ न्यायालय ने गैर निवासी भरतीयों के तलाकों पर रोक लगाई

दिल्ली के एक मुकदमा न्यायालय ने निर्णय दिया है कि किसी विदेशी न्यायालय द्वारा दी गयी तलाक की डिगरी उस दशा में रद मानी जायेगी जब किसी महिला के पास अपने मामले की पैरवी करने के लिए उस देश में जाने के साधन नहीं हों और उसने अपना मामला वहां की अदालत के क्षेत्राधिकार में आना स्वीकार नही किया है ।

न्यायालय ने कहा कि "यदि विदेशी न्याय–निर्णय भारतीय कानून के विरूद्ध है तो इसे अंतिम तथा प्रवर्तनीय नहीं माना जा सकता ।"

❖ सेक्सकर्मियों को राशन तथा वोटर कार्ड दिए जायें : उच्चतम न्यायालय

उच्चतम न्यायलय ने केन्द्र एवं राज्य सरकारों को सुझाव दिया है कि तकसीद प्रकिया में परिवर्तन करके सेक्सकर्मियों को राशन तथा वोटर कार्ड दिए जायें जिनमें उनका पेशा न लिखा जाये ।

एक वरिष्ट वकील नेतृत्व में नियुक्त समिति द्वारा की गयी अनेक सिफारिशों पर गौर करते हुए, न्यायालय की एक खंडपीठ ने कहा कि संविधान में प्रदत्त मूल अधिकार सेक्सकर्मियों को भी प्राप्त है ।

खंडपीठ ने यह सुझाव भी दिया कि : (क) सेक्सकर्मियों के बच्चों को सरकारी या नगरपालिका स्कूलों में उपयुक्त कक्षाओं में दाखिला दिया जाये (ख) तकनीकी या व्यवसायिक प्रशिक्षण केवल सेक्सकर्म से बाहर निकाली गयी महिलाओं को ही नहीं अपितु सभी सेक्सकर्मियों को दिया जाये ।

❖ महिला की मर्जी के बिना विवाह नहीं हो सकता : उच्च न्यायालय

बम्बई उच्च न्यायालय ने निर्णय दिया है कि मुस्लिम कानून के अनुसार विवाह एक सिविल इकरारनामा है तथा महिला की स्वतंत्र सहमति के बिना कोई निकाह संपन्न नहीं माना जा सकता । नागपुर के एक डाक्टर ने याचिका दायर की थी कि 14 वर्ष पूर्व उसने अपनी चचेरी बहन से विवाह किया था जिसे उसके साथ रहने के आदेश दिए जायें, किन्तु खंडपीठ ने उसकी यह याचिका खारिज कर दी । महिला का दावा था कि उसने उस व्यक्ति के साथ कभी विवाह नहीं किया था और वर्ष 1977 में खाली कागजों पर उससे जबरन हस्ताक्षर करा लिए गये थे । न्यायालय ने कहा कि इकरारनामे की वैधता दोनों पक्षों की स्वतंत्र सहमति पर भी निर्भर करती है । विवाह का प्रस्ताव रखने तथा उसकी स्वीकृति के लिए एक वकील को स्वेच्छा से नियुक्त किया जाता है । यह प्रस्ताव दो स्वस्थचित्त पुरुषों अथवा एक स्वस्थचित्त पुरुष और दो महिलाओं की उपस्थिति में, जो सभी मुस्लिम हों, प्रस्तुत किया जाना चाहिए ।

❖ दिल्ली सरकार विवाहों का पंजीकरण अनिवार्य करेगी ।

दिल्ली सरकार ने एक विधेयक के मसौदे को स्वीकृति दे दी है जिसके अनुसार राजधानी के सभी नवविवाहितों को अपने विवाह का पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा । विवाह पंजीकरण विधेयक 2007 में यह प्रावधान भी है कि जो लोग 60 दिन के अंदर विवाह का पंजीकरण नहीं करायेंगे उन पर 1000रु० का जुर्माना होगा । वर्ष 2006 में उच्चतम न्यायालय ने कहा था कि विवाहों का पंजीकरण न होने के कारण कोई ऐसा अधिकारिक सबूत नहीं रहता कि विवाह संम्पन्न हुआ था और उसका दुर्भाग्यपूर्ण परिणाम पतियों द्वारा परित्यक्त अनेक महिलाओं को भुगतना पड़ता है ।

राष्ट्रीय महिला आयोग, 4–दीन दयाल उपाध्याय मार्ग, नई दिल्ली–110002 द्वारा प्रकाशित सम्पादक : गौरी सेन। प्रोलिफिक इनकॉरपोरेटेड, ए–507ए, शास्त्री नगर, दिल्ली–110052 द्वारा मुद्रित।